

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद

आदेश सं० / शि०स० / सम्बद्धता / ७७ / २०१२-१३ दिनांक २७-५-१३

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं० १२११ / १५-११-२०१३ शिक्षा अनुभाग-११ लखनऊ दिनांक २६.०४.२०१३ के अनुपालन में श्री वासुदेव प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम गुतवन, पो० गुतवन मडियाहूँ, जौनपुर को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरानन्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा प्राइवेट बी०टी०सी० के संचालन हेतु दी गयी सम्बद्धता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१२-१३ से सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

०१. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
०२. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
०३. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
०४. प्रशिक्षणाधिकारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण के नियम, परीक्षाशुल्क अन्य कोई भी दार्ढ परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
०५. संस्थान निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत चयनित संकाय संस्थान के अन्तर्लेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी स्तर से रखा जायेगा।
०६. संस्थान द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होते ही १५ दिन के भीतर अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख बेबसाइट पर किया जायेगा।
०७. प्रशिक्षण संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक १७ एवं १८ अप्रैल २०१३ के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र २०१२-१३ से ५० सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के राष्ट्रक्ष से एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।

पृ०स० / शि०स० / सम्बद्धता /

१५२३-६१

/ २०१२-१३ तददिनांक

प्रदेशीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

१. राष्ट्रीय दैसिक रिएक्ट उ०प्र०इ०स० लखनऊ।
२. रेइंच स्कैच उ०प्र०इ०स०, रेइंच अनुभाग -११ लखनऊ।
३. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ०प्र०, लखनऊ।
४. शिक्षा निदेशक, दैसिक, उ०प्र०, लखनऊ।
५. इंड्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, २०/१९८, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मनसरोवर जग्यपुर।
६. संचुक्त शिक्षा निदेशक दाराजसी नगडल वाराजसी।
७. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जौनपुर।
८. प्रबन्धक/सचिव श्री वासुदेव प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ग्राम गुतवन, पो० गुतवन मडियाहूँ, जौनपुर।
९. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद।